



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-24102026-277414
CG-TL-E-24102026-277414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5560]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24, 2026/कार्तिक 2, 1948

No. 5560]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 2026/KARTIKA 2, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 22 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5777(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “नालवार – वाडी स्टेशनों के बीच कि.मी. 667/7-8 पर स्थित समपार संख्या 234 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. RSP/Gazette/37A/LC.234/GY-WD/SC]

जे. सधर्मा देव रायल, मुख्य इंजीनियर/नि.

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 22nd October, 2026

S.O. 5777(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies "Construction of Road Under Bridge in lieu of Level Crossing No. 234 at Km. 667/7-8 between Nalwar – Wadi stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Karnataka in the District of Kalaburagi for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. RSP/Gazette/37A/LC.234/GY-WD/SC]

J. SADHARMA DEV ROYAL, Chief Engineer/Con.